अध्याय–6: वानिकी तथा वन्य प्राणी (व्यय)

6.1 लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा द्वारा अवधि 2017–18 के दौरान वन विभाग के कुल 67 में से 24[1] कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। वर्ष 2016–17 के दौरान विभाग द्वारा किया गया व्यय ₹ 1,030.74 करोड़ था। लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा कुल ₹ 623.21 करोड़ व्यय किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा 195 प्रकरणों में राशि ₹ 119.68 करोड़ की अनियमिततायें पायी गई, जिनका श्रेणीवार विवरण **तालिका 6.1** में वर्णित है :

तालिका 6.1: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	अनियमित व्यय	93	76.51
2.	परिहार्य व्यय	10	4.88
3.	अलाभकारी व्यय	19	19.21
4.	अधिक व्यय	23	7.51
5.	अन्य अनियमितताएँ	50	11.57
योग		**195**	**119.68**

अवधि 2017–18 के दौरान, विभाग द्वारा दो प्रकरण जिसमें राशि ₹ 0.04 करोड़ सन्निहित है, को स्वीकार किया गया। शेष प्रकरणों में लेखापरीक्षा द्वारा विभाग से अनुशीलन किया जा रहा है।

6.2 क्षतिपूर्ति वनीकरण, कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए अपात्र स्थानों का चयन

दो वनमंडलाधिकारियों (व.मं.अ.) द्वारा प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वनीकरण (क्ष. वनि.) हेतु अपात्र स्थानों का चयन किया गया, चयनित क्षेत्र के उपचार पर वृक्षारोपण कार्य किये बिना ही ₹ 3.73 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया एवं अ.प्र.मु.व.सं.(राज्य कैम्पा) द्वारा निर्धारित नार्म्स से कम पौधों का रोपण कर ₹ 0.79 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी (2004) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन (संरक्षण) नियम, 2003 पर हस्तपुस्तिका की कंडिका 3.2 एवं 3.3 के अनुसार, क्षतिपूर्ति वनीकरण (क्ष.वनी) समान क्षेत्रफल के गैर वनीकृत भूमि में किया जायेगा। यदि गैर वनीकृत भूमि उपलब्ध नहीं होने पर क्ष.वनी. बिगड़े वन भूमि के दुगने क्षेत्रफल पर किया जायेगा। क्ष.वनी. वार्षिक वृक्षारोपरण कार्यक्रम का भाग न होकर स्पष्ट रूप से एक अतिरिक्त वृक्षारोपण गतिविधि होनी चाहिए। आगे, कोरबा वनमण्डल की कार्य आयोजना (का.आ.) के अनुसार प्रवरण सह सुधार कार्यवृत्त (एस.सी.आई.) में वृक्षारोपण कार्य नहीं किया जाना चाहिए, केवल सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी कार्य किये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, क्ष.वनी. के अंतर्गत 1,100 पौधे प्रति हेक्टेयर हेतु क्षेत्र तैयारी एवं वृक्षारोपण कार्य के लिए क्रमशः ₹ 52,000 एवं ₹ 38,000 मानदंड निर्धारित है।

[1] व.मं.अ., मरवाही, मनेन्द्रगढ़, कोण्डागांव(द.), बैकुण्ठपुर, रायपुर, कोरबा, धरमजयगढ़, महासमुंद, दुर्ग, गरियाबंद, राजनांदगांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, रायगढ़, बिलासपुर, जगदलपुर, धमतरी, सरगुजा, बलौदाबाजार, व.सं. वन्य प्राणी रायपुर, प्र.मु.व.सं. वन्यप्राणी, रायपुर, पादप बोर्ड, रायपुर, प्र.मु.व. सं., नया रायपुर एवं सामाजिक वानिकी, बिलासपुर

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (व.मं.अ.), धरमजयगढ़ एवं कोरबा की नमूना जांच (सितंबर 2017) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि, क्ष.वनी. के अंतर्गत बिगड़े वन क्षेत्र के 841.929[2] हेक्टेयर में 9,26,122[3] पौधों की तैयारी एवं वृक्षारोपण हेतु ₹ 7.20 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी। वनमण्डलाधिकारियों ने वृक्षारोपण के लिये प्रवरण सह सुधार (एस.सी.आई.)[4]/सुधार कार्य वृत्त (आई.डब्लू.सी.)[5] के स्थलों का चयन किया एवं तदनुसार मु.व.सं. ने दोनों वनमण्डलों, कोरबा (22,950.901 हे.) एवं धरमजयगढ़ (6,452.336 हे.) में बिगड़े वन की उपलब्धता के बावजूद तकनीकी स्वीकृति प्रदान (जनवरी 2016) की। वनमण्डलाधिकारियों द्वारा बिगड़े वन क्षेत्रों का पुर्नस्थापना/वृक्षारोपण कार्यवृतों (आर.डब्लू.सी.[6]/पी.एल.डब्लू.सी.[7]) के स्थान पर प्रवरण सह सुधार (एस.सी.आई.)/सुधार कार्यवृत्तों (आई.डब्लू.सी.) के चयन करने के कारण, वृक्षारोपण कार्य 841.929 हेक्टेयर के स्थान पर 522.253[8] हेक्टेयर में 4,59,565[9] पौधों के वृक्षारोपण तक सीमित रहा। शेष 319.676 हेक्टेयर चयनित क्षेत्र में वृक्षारोपण रहित उपचार किया गया। दोनों ही कार्यों पर विभाग द्वारा ₹ 6.16[10] करोड़ का व्यय किया गया। चूंकि राज्य कैम्पा द्वारा 841.929 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु राशि स्वीकृत की गयी थी, 319.676 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण रहित उपचार पर किया गया व्यय ₹ 2.31[11] करोड़ अनियमित था। आगे वनमण्डलाधिकारियों द्वारा 522.253 हेक्टेयर क्षेत्र में 5,74,478[12] पौधों के स्थान पर केवल 4,59,565 वृक्षों का रोपण किया गया परिणामस्वरूप कथित क्षेत्र में 1,14,913[13] कम पौधों का वृक्षारोपण किये जाने के कारण ₹ 0.79[14] करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

इस प्रकार, वनमण्डलाधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण के लिये अनार्हक स्थलों का चयन तदनुसार मु.व.सं. द्वारा तकनीकी स्वीकृति दिये जाने से न केवल अनियमित व्यय ₹ 2.31 करोड़ एवं अधिक व्यय ₹ 0.79 करोड़ के साथ व.सं. अधिनियम का उल्लंघन हुआ अपितु क्ष.वनी. के उद्देश्यों का भी हनन् हुआ। यह आश्चर्यजनक है कि सघन वन क्षेत्र में 100 प्रतिशत वृक्षारोपण कार्य किया गया जबकि बिगड़े वन क्षेत्र में एक भी वृक्ष का रोपण नहीं किया गया।

---

2 कोरबाः 615.929 हे., धरमजयगढ़ः 226 हे.

3 841.929 × 1,100

4 एस.सी.आई. कार्यवृत्त में ऐसे वन क्षेत्र समाविष्ट होते हैं जिनका घनत्व 0.5 से अधिक होता है एवं पुर्नोत्पादन प्रचुर मात्रा में है। इस वृत्त के गठन का मुख्य उद्देश्य इमारती काष्ठ का व्यावसायिक विदोहन है।

5 आई.डब्लू.सी. कार्यवृत्त में, वे वन क्षेत्र समाविष्ट होते हैं जिनका घनत्व 0.5 से अधिक होता है। इस वृत्त के गठन का मुख्य उद्देश्य इमारती काष्ठ का व्यावसायिक विदोहन करने के लिये नहीं अपितु सुधार कार्य कर वृक्षों में पायी गयी कमियों का निराकरण करना है जिससे ये वन भविष्य में उत्पादक वनों में परिवर्तित हो जाये।

6 इन कार्यवृत्तों में 0.4 से कम घनत्व वाले वन क्षेत्र समाहित है, इस वृत्त के गठन का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध जड़ भण्डार से वनों की पुर्नस्थापना करना है।

7 पी.एल.डब्लू.सी. में मुख्यतः रिक्त वन क्षेत्र समाविष्ट हैं जहां पुनरूत्पादन उपलब्ध नहीं है। इस वृत्त के गठन का मुख्य उद्देश्य वृक्षों का सिंचित/असिंचित वृक्षारोपण कर वन क्षेत्रों को समृद्ध करना है।

8 कोरबाः 368.253 हे. एवं धरमजयगढ़ः 154 हे.

9 कोरबाः 3,35,653 + धरमजयगढ़ः 1,23,912

10 कोरबाः ₹ 4.19 करोड़ + धरमजयगढ़ः ₹ 1.97 करोड

11 ₹ 1.68 करोड़ + ₹ 0.63 करोड़ (कोरबाः ₹ 4.19 करोड़/615.929 हे. × 247.676 हे. एवं धरमजयगढ़ः ₹ 1.97 करोड/226 हे. × 72 हे.)

12 522.253 × 1,100 = 5,74,478

13 5,74,478 (522.253×1,100) − 4,59,565

14 कोरबाः ₹ 42,94,095 (₹ 250.55 लाख/4,05,078 पौधें × 69,425 पौधें) + धरमजयगढ़ः ₹ 36,02,520 (₹ 134.16 लाख/1,69,400 पौधें × 45,488 पौधें)

आगे, लेखा परीक्षा ने कार्य आयोजना (का.आ.), कक्ष इतिहास एवं कार्यों के परियोजना प्रतिवेदनों की जांच में पाया कि, 16 कूपों में से जिनमें कोरबा वनमण्डल द्वारा 368.253 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य कराया गया था, एस.सी.आई. कार्यवृत्त के तीन कक्ष जिनके नाम पी.1120, पी.1364 और पी.1367 है, 115 हेक्टेयर में 1,12,750 वृक्षो के रोपण कराया गया जिन पर ₹ 1.42 करोड़ का व्यय हुआ । लेखा परीक्षा एवं संबंधित परिक्षेत्राधिकारी के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि सभी तीन कक्ष सघन वन क्षेत्रों से आच्छादित थे एवं पुनरूत्पादन पहले से ही प्रचुर मात्रा में था; वृक्षारोपण सघन वन के मध्य खाली क्षेत्रों में रिक्त वृक्षारोपण के रूप में किया गया था।

वनमण्डल द्वारा किया गया उपरोक्त वृक्षारोपण स्पष्टतः वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन (संरक्षण) नियम, 2003 पर जारी हस्तपुस्तिका का उल्लंघन था जहां यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि, सघन वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण नहीं किया जाना है और एस.सी.आई. कूप में सघन वन क्षेत्र होते है। अतः क्ष.वनी. के अंतर्गत एस.सी.आई. कूप में वृक्षारोपण कार्य पर किया गया व्यय ₹ 1.42 करोड़ अनियमित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (सितंबर 2017) किये जाने पर वनमण्डलाधिकारियों ने उत्तर में कहा कि, चिन्हित किये गये कूप एस.सी.आई. एवं आई.डब्लू.सी. कूप हैं जहां पूर्णतः रिक्त क्षेत्र होना संभव नहीं है। क्षेत्र को उपचारित करने के दो तरीके है, प्रथम रिक्त क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं द्वितीय जड़भण्डार क्षेत्रों में प्राकृतिक पुनरूत्पादन (अंगीकरण)। आगे, उपरोक्त कूप अतिक्रमण से असुरक्षित थे, क्योंकि ये मानव बस्ती के समीप थे। इन परिस्थितियों को देखते हुये, स्थल की वास्तविक स्थिति के आधार पर वृक्षारोपण प्रस्तावित था। वन को संरक्षित करने के लिये रिक्त/विरल क्षेत्रों में वृक्षारोपण कराया गया ।

वनमण्डलाधिकारियों का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिगड़े वन क्षेत्र उपलब्ध होने के बावजूद, ऐसे पुनरूत्पादन क्षमता वाले एस.सी.आई./आई.डब्लू.सी. कूप में क्ष.वनी. कार्य किया गया जहाँ रिक्त क्षेत्रों में भी का.आ. अनुसार वृक्षारोपण प्रतिबंधित था। आगे, कूपों के कक्ष इतिहास में किसी प्रकार के अतिक्रमण का उल्लेख नही था। अतः लेखा परीक्षा का यह मत है कि विभाग इसे निगरानी की दृष्टि से जांच करें ताकि इस प्रकार के अनियमित व्यय की पुनरावृत्ति न होना सुनिश्चित किया जा सके।

प्रकरण को अभिमत के लिये शासन/विभाग के ध्यान में लाया गया (जून एवं सितंबर 2018)। उत्तर अभी तक अप्राप्त है (अगस्त 2019)।

6.3 पूर्व में उपचार किये गये कूपों में सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन (ए.एन.आर.) कार्य पर अनियमित एवं परिहार्य व्यय

ऐसे क्षेत्र जहां पहले से कार्य किया जा चुका था, में सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन पर किया गया परिहार्य व्यय ₹ 3.97 करोड़ ।

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्र.मु.व.सं.), छ.ग. ने सभी मुख्य वन संरक्षकों (मु.व.सं.)/ वनमण्डलाधिकारियों (व.म.अ.) को निर्देशित किया (नवंबर 2012) कि, सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन (ए.एन.आर.[15]) कार्य उन्हीं प्रवरण सह सुधार (एस.सी.आई.) और सुधार पातन श्रेणी (आई.एफ.एस.) कूपों में किया जाना है जिनमें पूर्व वर्ष में पातन कार्य किया जा चुका है।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोण्डागांव (दक्षिण) के वर्ष 2016–17 के अभिलेखों की जांच (जून 2017) में पाया गया कि, अपर प्र.मु.व.सं. (राज्य कैम्पा) ने राज्य कैम्पा के अंतर्गत 4,940.130 हेक्टेयर में प्रथम वर्ष के लिये ए.एन.आर. कार्य हेतु ₹ 3.95 करोड़ (जनवरी

[15] ए.एन.आर. वानिकी गतिविधि है जो वृक्ष विदोहन के उपरांत एकलीकरण, भू एवं जल संरक्षण तथा सुरक्षा कार्य के द्वारा स्वस्थ कटाई के पुनरूत्पादन को बढ़ावा देती है।

2017) स्वीकृत किये। स्वीकृति सशर्त थी की कार्य उन्ही कूपों में कराया जाना है जहां वर्ष 2014–15 में पातन कार्य कराया गया हो एवं कार्य शुरू करने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाना था कि अन्य मदों से समान प्रकार का कार्य स्वीकृत न किया गया हो। तथापि व.म.अ. ने 2017–18 के दौरान कैम्पा मद से ₹ 3.97 करोड़ का व्यय उन 27 कूपों में ए.एन.आर. कार्य सम्पादित करने में किया जहाँ पातन कार्य वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में कराया गया था। आगे जांच में पाया गया कि कूप पहले से ही वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में विभागीय मद से ₹ 38.36 लाख के व्यय के साथ प्राकृतिक पुनरूत्पादन कार्य से उपचारित थे साथ ही साथ उपरोक्त कूपों में वर्ष 2013–14 और 2014–15 में छठवें वर्ष का सफाई कार्य भी किया जा चुका था। अतः व.म.अ. ने न केवल स्वीकृति आदेश में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन किया बल्कि ₹ 3.97 करोड़ का अनियमित एवं परिहार्य व्यय भी किया। इसे राज्य सरकार द्वारा आगे जांच कराये जाने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (जून 2017), व.म.अ. ने उत्तर में कहा कि ए.एन.आर. कार्य पातन कूपों में अनुवर्ती वर्षों में कराया गया था, परंतु विभागीय मद के अंतर्गत बजट आबंटन न दिये जाने के कारण कार्य का प्रस्ताव वर्ष 2016–17 में तैयार किया गया था। कूपों में ए.एन.आर. कार्य अन्य मदों से नहीं कराया गया था।

वनमण्डलाधिकारी का उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, क्योंकि वनमण्डल द्वारा वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के दौरान विभागीय मद से पहले ही ए.एन.आर. कराया जा चुका था। आगे 2013–14 एवं 2014–15 में इन कूपों में पहले ही छठवें वर्ष की सफाई का कार्य किया गया था, इसलिए प्रथम एवं द्वितीय वर्षों से संबंधित ए.एन.आर. कार्य कराये जाने की आवश्यकता नहीं थी। राज्य कैम्पा निधि से आबंटन उन कूपो के लिये था, जहां केवल वर्ष 2014–15 में पातन कार्य कराया गया था। यह तथ्य की क्षेत्र पूर्व में ही विभागीय मद के अंतर्गत उपचारित है, ए.एन.आर. के लिये परियोजना तैयार करते समय संज्ञान में नहीं लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप उसी कूप में कार्य की पुनरावृत्ती हुई।

प्रकरण को अभिमत के लिये शासन/विभाग को सूचित (अक्टूबर 2018) किया गया। उत्तर अपेक्षित है (अगस्त 2019)।

6.4 वृक्षारोपण पर परिहार्य व्यय

वनमण्डल की कार्य आयोजना के अनुसार वृक्षारोपण प्रतिबंधित होने के बावजूद ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत संरक्षण कार्यवृत्त में वृक्षारोपण पर ₹ 1.36 करोड़ का परिहार्य व्यय।

सरगुजा वनमण्डल की कार्य आयोजना (का.आ.) के अनुसार, संरक्षण कार्य वृत्तों (पी.डब्लू.सी.) का गठन ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों को शामिल करते हुये जिनमें 25 डिग्री से अधिक का ढलान तथा कुल क्षेत्र का 78.93 प्रतिशत सघन वनों से अच्छादित हो किया गया है। आगे, का.आ. निर्धारित करती है कि, वनो के विरल एवं रिक्त क्षेत्रों में कोई वृक्षारोपण कार्य नहीं किया जाये।

व.म.अ., सरगुजा वनमण्डल की वृक्षारोपण प्रतिवेदनों, परियोजना प्रतिवेदनों, कार्य आयोजना आदि की नमूना जांच (मार्च 2017) के दौरान लेखा परीक्षा ने पाया कि ग्रीन इंडिया मिशन (जी.आई.एम.) के अंतर्गत ₹ 3.90 करोड़ का व्यय कर 14 कक्षों के 755 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराया गया। वनमण्डल की का.आ. का अवलोकन किये जाने पर यह पाया गया कि 14 में से छः[16] कक्ष पी.डब्ल्यू.सी. कार्यवृत्त के थे एवं इन छः कक्षों के 290

[16] कक्ष क्रमांक – पी. 2363 (70 हे.), पी. 2351 (50 हे.), पी. 2350 (50 हे.), पी. 2361 (35 हे.), पी. 2357(70 हे.) और पी. 2376 (15 हे.)

हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया जाकर ₹ 1.36 करोड़ का व्यय किया गया। कार्य आयोजना के अनुसार पी.डब्ल्यू.सी. कूप जहाँ पहले से ही सघन वन उपलब्ध है, के विरल एवं रिक्त क्षेत्र में भी वृक्षारोपण निषेध है, ऐसे कूपों पर कोई भी वृक्षारोपण कार्य नहीं किया जाना था। अतः व.म.अ. द्वारा वृक्षारोपण कार्य कराए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.36 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित (सितंबर 2017) किये जाने पर शासन ने उत्तर (मई 2018) में कहा कि, जी.आई.एम. के तहत वृक्षारोपण जी.आई.एम. के प्रावधानों एवं निर्देशों के अनुसार कराया गया था जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। जी.आई.एम. का मुख्य उद्देश्य समीपस्थ स्थानों को हरा बनाये रखना है। 25 डिग्री से कम ढाल वाले मैदानी क्षेत्रों का प्रारंभिक सर्वेक्षण एवं सीमांकन संचालित किया गया एवं वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त पाये जाने पर वृक्षारोपण कार्य किया गया।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पी.डब्लू.सी. का गठन जैव विविधता, प्राकृतिक वनस्पति के साथ भू एवं जल संरक्षण को बचाने हेतु है। कक्ष के रिक्त स्थानों में भी वृक्षारोपण प्रतिबंधित था। आगे, चार[17] कक्षों में 30 डिग्री से भी अधिक ढलान थी।

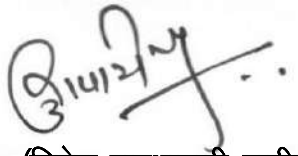

रायपुर
दिनांक 14 जनवरी 2020

(दिनेश रायभानजी पाटील)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

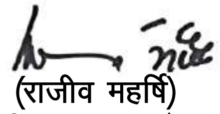

नई दिल्ली
दिनांक 20 जनवरी 2020

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

[17] पी.2351, पी.2350, पी.2361, पी.2376